प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6075/2024

1 – योगेश्वर चंद्रम पिता रामभजन चंद्रम, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम छोटे गंतुली, तहसील सारंगढ़, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़, छ.ग.।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग.।

2–निदेशक स्वास्थ्य निदेशालय विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग.

3–मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग..

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

––– उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6160/2024

1 – प्रेमराज विशाल पिता राजकुमार विशाल, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम चिखलिया, तहसील पिथोरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग.।

2–निदेशक स्वास्थ्य निदेशालय विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग.

3–मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग.।

––– उत्तरवादीगण

(वाद शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री टी. के. झा और श्री तपन कुमार चंद्र, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : श्री विवेक शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं श्री एस.एस. चौबे, पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद

बोर्ड पर आदेश

07.03.2025

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. इन रिट याचिकाओं में एक जैसे विवाद्यक सम्मिलित हैं, इसलिए इन्हें तय करने के लिए इन्हें एक साथ जोड़ा जा रहा है, एक साथ सुना जा रहा है और इस सामान्य आदेश द्वारा विनिश्चित किया जा रहा है।

2. दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगभग समान अनुतोष का दावा किया गया है। संक्षिप्तता के लिए, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 6075/2024 (योगेश्वर चंद्रम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहतों को ध्यान में रखा गया है, जो नीचे उद्धृत हैं:–

> "10.1 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया याचिका को स्वीकार करने और दिनांक 04.09.2024 की आक्षेपित अधिसूचना (अनुलग्नक–पी/6) को अपास्त करने तथा उत्तरवादी को याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश देने की कृपा करे।
>
> 10.2 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य अनुतोष प्रदान करने की कृपा करे, जिसे माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित और न्यायसंगत समझे, जिसमें याचिकाकर्ता को व्यय का भुगतान करना भी सम्मिलित है।"

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ (उत्तरवादी क्रमांक 3) ने फार्मासिस्ट ग्रेड– II, ड्रेसर ग्रेड– I, और II, आरएचओ (पुरुष) और आरएचओ (महिला) और डार्क रूम असिस्टेंट के पद सहित विभिन्न पदों के लिए दिनांक 10.06.2022 तक ऑनलाइन आवेदन

आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया। उक्त विज्ञापन में, पैरा 12 में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि शैक्षणिक योग्यता और अनुभव तथा कोविड–19 अवधि के दौरान अनुभव के अनुसार अंक कैसे दिए जाने हैं। पात्र व्यक्तियों से दिनांक 20.06.2022 से 11.07.2022 तक ऑनलाइन मोड में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने फार्मासिस्ट ग्रेड– II के पद के लिए दिनांक 09.07.2022 को आवेदन किया था। दिनांक 04.05.2023 को उत्तरवादी क्रमांक 3 ने संशोधित विज्ञापन के लिए शुद्धिपत्र जारी किया तथा पैरा (ग) में कहा कि कोविड–19 बोनस अंकों सहित अनुभव अंक 15 अंकों से अधिक नहीं है। तत्पश्चात दिनांक 23.07.2024 को उत्तरवादी क्रमांक 3 ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिसूचना एवं सूची जारी की। उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा दिनांक 23.07.2024 को प्रकाशित सूची में याचिकाकर्ताओं को कार्य अनुभव के लिए 15 अंक दिए गए, लेकिन कोविड–19 बोनस अंकों के लिए उन्हें 10 अंक नहीं दिए गए तथा इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने बोनस अंक दिए जाने के लिए दिनांक 28.07.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात दिनांक 04.09.2024 को उत्तरवादी क्रमांक 3 ने याचिकाकर्ताओं एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दावे के संबंध में अधिसूचना जारी की। इस सूची में याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार नहीं किया गया और उनके दावे को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि "पूर्व में ही 15 अंक प्रदान किए गए हैं।" याचिकाकर्ताओं की अभ्यर्थिता को खारिज करना मनमाना और अवैध है, इसलिए ये याचिकाएँ दायर की गई हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री टी. के. झा एवं श्री तपन कुमार चंद्रा ने तर्क प्रस्तुत किया कि विज्ञापन के पैरा 12 के अनुसार यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 15 अंक कार्य अनुभव के लिए तथा 10 बोनस अंक कोविड–19 के लिए हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं को कोविड–19 बोनस अंक नहीं दिए गए। यह कहा गया है कि विज्ञापन में उल्लेख न किए जाने के आधार पर याचिकाकर्ताओं की अभ्यर्थिता को खारिज करना चयन प्रक्रिया के दौरान नियम में बदलाव के समान है, जिसे विधि में निहित माना गया है। यह भी कहा गया है कि कुछ जिलों (जैसे कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और कोंडागांव) में कार्य अनुभव के अंक और कोविड–19 बोनस अंक अलग–अलग दिए गए थे, इसलिए उत्तरवादी अधिकारियों की कार्यवाही अवैध है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरवादी अधिकारी याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अनुभव प्रमाण पत्र की विवेचना करने में विफल रहे हैं जो उनके अनुभव का प्रमाण है और याचिकाकर्ताओं ने उनकी अभ्यर्थिता को अस्वीकार करने के विरुद्ध भी प्रतिनिधित्व किया है, जिस पर भी उत्तरवादी अधिकारियों ने विचार नहीं किया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि बाद में संशोधित शुद्धिपत्र दिनांक 04.05.2023 जारी किया गया था जिसके अनुसार अनुभव के साथ–साथ कोविड–19 के दौरान सेवा प्रदान करने के लिए मात्र 15 अंक दिए गए हैं, इस प्रकार, दिनांक 04.05.2023 का

आक्षेपित शुद्धिपत्र अपने आप में अवैध है और इसे रद्द करने की आवश्यकता है। तदनुसार, वर्तमान याचिकाएँ स्वीकार करने योग्य हैं।

5. दूसरी ओर, श्री विवेक शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता और श्री एस.एस. चौबे, पैनल अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क का विरोध करते हैं और तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अनजाने में कोविड 19 के दौरान अनुभव और सेवा प्रदान करने के लिए 15+ 10 अंक दिए गए हैं, जो प्रदान नहीं किए जा सकते क्योंकि यह कुल 100 अंकों से अधिक होगा और इस तरह, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.05.2023 का शुद्धिपत्र सही ढंग से जारी किया गया है। वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि एक बार याचिकाकर्ताओं ने चयन कार्यवाही में भाग लिया है, तो वे इसे चुनौती नहीं दे सकते। याचिकाएँ बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं हैं और राज्य सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया, पहले के विज्ञापन में सही तरीके से अंक दिए गए हैं जो 100 अंकों से अधिक हैं, इस तरह, याचिका सिरे से खारिज होने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने **भीम बली यादव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं एक अन्य** के प्रकरण का हवाला दिया है, जो इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीएस क्रमांक 1496/2022 में दिनांक 07.02.2025 को पारित किया गया था, तथा तर्क प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने भी इसी विवाद्यक पर विचार किया है, तथा संबंधित अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए गए हैं:–

> "10. चूंकि याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, इसलिए उन्हें चयन की विधि और उसके परिणाम पर प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह एक सामान्य विधि है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने के कारण, जबकि उन्हें पूरी जानकारी थी कि भर्ती नियमों के तहत की जा रही है, अभ्यर्थियों ने विज्ञापन या नियोक्ता द्वारा चयन करने के लिए अपनाई गई पद्धति पर प्रश्न उठाने के अपने अधिकार को अधित्यक्त कर दिया है। (देखें: यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम एस. विनोद कुमार और अन्य"।
>
> 11. नियम, 2017 बनाए गए हैं, जिनमें लिखित और कौशल परीक्षा का प्रावधान मात्र उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन के उद्देश्य से किया गया है ताकि रजिस्ट्री का काम सुचारू रूप से और कुशलता से चल सके। यहां तक कि नियमों में संशोधन भी समय–समय पर आवश्यकताओं को देखते हुए किए गए हैं। नियम, 2017 में पदोन्नति के लिए किए गए संशोधित मानदंडों को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई उचित आधार नहीं बनाया गया है और पूरी याचिका में इस आशय का कोई आधार नहीं बनाया गया है या नहीं उठाया गया है कि संशोधन भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान के विरुद्ध है।

12. वैधानिक प्राधिकरण को सेवा की शर्तों और किसी विशेष पद को धारण करने के लिए आवश्यक योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए वैधानिक नियम बनाने का अधिकार है। मात्र संबंधित प्राधिकरण ही इस पर अंतिम निर्णय ले सकता है। यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आमतौर पर किसी नियोक्ता को किसी विशेष पद को धारण करने के लिए योग्यता निर्धारित करने का निर्देश नहीं देता है।

13. किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएँ नियोक्ता को तय करनी होती हैं। नियोक्ता किसी भी वरीयता अनुदान सहित अतिरिक्त या वांछनीय योग्यताएँ निर्धारित कर सकता है। नियोक्ता ही यह तय करने के लिए सबसे उपयुक्त है कि नियोक्ता की आवश्यकताओं और कार्य की प्रकृति के अनुसार अभ्यर्थी में क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। न्यायालय पात्रता की शर्तें निर्धारित नहीं कर सकता, विज्ञापन/अधिसूचना के व्याख्यात्मक पुनर्लेखन द्वारा वांछनीय योग्यताएँ आवश्यक पात्रता के बराबर होने के संबंध में विवाद्यक पर गहराई से विचार करना तो दूर की बात है। समतुल्यता के प्रश्न भी न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र से बाहर होंगे। यदि विज्ञापन/अधिसूचना की भाषा और नियम स्पष्ट हैं, तो न्यायालय उस पर निर्णय नहीं दे सकता। यदि विज्ञापन/अधिसूचना में कोई अस्पष्टता है या यह किसी नियम या विधि के विपरीत है, तो प्रकरण को उचित आदेशों के बाद नियुक्ति प्राधिकारी के पास वापस जाना होगा, ताकि विधि के अनुसार आगे बढ़ा जा सके। किसी भी प्रकरण में न्यायालय न्यायिक समीक्षा की आड़ में नियुक्ति प्राधिकारी की कुर्सी पर बैठकर यह तय नहीं कर सकता कि नियोक्ता के लिए क्या बेहतर है और विज्ञापन/अधिसूचना की शर्तों की व्याख्या उसकी स्पष्ट भाषा के विपरीत नहीं कर सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. यहां यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि किसी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करना नियोक्ता का एकमात्र विशेषाधिकार है और मात्र इसलिए कि किसी अभ्यर्थी के पास उक्त पद के लिए वह योग्यता नहीं है और उसे वांछित शैक्षिक योग्यता के अभाव में विशेष पद के लिए चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने में कठिनाई हो रही है, सुसंगत नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना या भेदभावपूर्ण या भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन न हो। याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि आक्षेपित सूचना और नियम या तो भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14/16 का उल्लंघन करते हैं या यह स्पष्ट मनमानी से ग्रस्त है और यह भेदभावपूर्ण नहीं दिखाया गया है।"

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना हैं तथा दोनों रिट याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम एस. विनोद कुमार एवं अन्य (2007) 8 एससीसी 100** के प्रकरण में इसी तरह के विवाद्यक पर विचार किया है और संबंधित अनुच्छेद नीचे उद्धृत हैं:–

> "9. यह तथ्य कि गैंगमैन के पदों को शारीरिक रूप से सक्षम और स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा भरा जाना आवश्यक था, न तो नकारा जा सकता है और न ही विवादित है। हालांकि, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि रेलवे प्रशासन इसके लिए अन्य मानदंड तय नहीं कर सकता था। जैसा कि पहले बताया गया है, शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई थी। चयन की प्रक्रिया और तरीका, जैसा कि पहले बताया गया है, दिनांक 09.05.1998 की उपरोक्त अधिसूचना में निर्धारित किया गया था। यह भी निर्धारित किया गया था कि संबंधित अभ्यर्थियों को न मात्र अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी, बल्कि लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षण भी पास करना होगा।
>
> 10. यह सत्य हो सकता है कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए कट–ऑफ अंक 71 इस आधार पर तय किए गए थे कि अंतिम अभ्यर्थी, अर्थात 240 वें अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों की गणना 480 अभ्यर्थियों के 50% के आधार पर की गई थी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 56 अंक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 20 अंक तय किए गए थे। मात्र इसलिए कि 71 पर कट–ऑफ अंक उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर तय किए गए थे, हमारे विचार में, इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि कोई कट–ऑफ अंक तय नहीं किया गया था। तथ्य यह है कि रेलवे प्रशासन ने सामान्य श्रेणी के साथ–साथ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से कट–ऑफ अंक तय करने का उद्देश्य किया था, इस तथ्य से स्पष्ट है कि विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अलग–अलग कट–ऑफ अंक तय किए गए थे। इसलिए, हम विद्वान अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि निर्धारित कट–ऑफ अंक पूरी तरह से मनमाने थे, जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। नियोक्ता की कट–ऑफ अंक निर्धारित करने की शक्ति को न तो नकारा गया है और न ही विवादित किया गया है। यदि कट–ऑफ अंक तर्कसंगत आधार पर तय किए गए थे, तो इसमें कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उत्तरवादियों ने वर्ष 2000 में न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं को कट–ऑफ अंक कम करने के इस प्रकरण पर विचार करने का निर्देश दिया। इसलिए, उपर्युक्त तथ्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्तरवादियों की मुख्य प्रार्थना यह थी कि कट–ऑफ अंक कम किए जाने चाहिए। अपीलकर्ता निश्चित रूप से उक्त प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। इसलिए, न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ताओं की कार्यवाही पर इस दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा करने के लिए उनके पास अपेक्षित अधिकार क्षेत्र था। न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता के तर्क को यथावत रखा। एक बार जब यह मान लिया जाता है कि अपीलकर्ताओं के पास कट–ऑफ अंक तय करने का अपेक्षित अधिकार क्षेत्र था, तो इसका आवश्यक परिणाम यह होगा कि उन्हें इसे कम करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। यह सामान्य बात है कि कट–ऑफ अंक निर्धारित करना नियोक्ता या विशेषज्ञ निकाय का काम है। न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय सामान्यतः इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस संबंध में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है। निर्धारित कट–ऑफ अंक संबंधित पद के लिए विषय के महत्व पर निर्भर करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ताओं को आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरना चाहिए था, लेकिन फिर उक्त उद्देश्य के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों को इसके लिए निर्धारित कट–ऑफ अंकों सहित पात्रता मानदण्ड को पूरा करना आवश्यक था। उत्तरवादियों ने निस्संदेह ऐसा नहीं किया। उच्च न्यायालय ने, हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं को कट–ऑफ अंक कम करने का निर्देश देकर गंभीर श्रुटि की। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कट–ऑफ अंक 20 तय किया गया था। इसे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू नहीं किया जाना था। अपीलकर्ताओं के विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अलग–अलग कट–ऑफ अंक निर्धारित करने के अधिकार क्षेत्र पर कभी प्रश्न नहीं उठाया गया है और इस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, मात्र इसलिए कि रेलवे बोर्ड ने वर्ष 1976 में ही एक परिपत्र जारी किया था कि यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्तियों को अनारक्षित अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाए, हमारे विचार में इसका यह अर्थ नहीं है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की योग्यता और अनुपालन के बावजूद वे नियुक्ति के हकदार हैं।

14. यह अब विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति का कोई विधिक अधिकार नहीं है...

15. यह अपीलकर्ता को तय करना था कि पदों को अनारक्षित किया जाए या आगे बढ़ाया जाए।

16. प्रकरण के किसी भी दृष्टिकोण से, उत्तरवादी एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित हुए। विज्ञापित पद सार्वजनिक पद थे। नियुक्ति के लिए उनके पास कोई निहित अधिकार नहीं था। यह सर्वविदित है कि चयनित अभ्यर्थियों को भी इस संबंध में विधिक अधिकार नहीं है।

17. पित्त नवीन कुमार एवं अन्य बनाम राजा नरसैय्या जांगिटी एवं अन्य (2006) 10 एससीसी 261] में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की थी:

"इस संबंध में प्राप्त विधिक स्थिति विवाद में नहीं है। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त किए जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार मात्र इस बात का अधिकार है कि उसके लिए विचार किया जाए। हालांकि किसी व्यक्तिगत अभ्यर्थी के प्रकरण पर विचार सामान्यतः वर्तमान नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रकरण में इसका सख्ती से पालन करना आवश्यक होगा जहां नियम मात्र संबंधित अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदेह हों, अन्यथा नहीं।"

18. यह भी स्थापित है कि जिन अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, उन्हें इसमें निर्धारित प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन वे इस पर प्रश्न उठाने के हकदार नहीं थे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 10.06.2022 के विज्ञापन में अनुभव के लिए 10–15 अंक और कोविड–19 अवधि के दौरान सेवाएं प्रदान करने के लिए 10 अंक पर विचार करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, तथापि कुल अंक मात्र 100 अंक हैं और इस प्रकार यह अंकों के कुल विचार से अधिक है और उक्त तथ्य को संबंधित अधिकारियों अर्थात सीएचएमओ, रायगढ़ के संज्ञान में लाया गया और उसके बाद दिनांक 04.05.2023 को शुद्धि पत्र जारी किया गया है, जिसे गलत नहीं कहा जा सकता है।

10. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भारत संघ (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में निर्धारित विधि पर विचार करते हुए, मैं वर्तमान प्रकरणों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप करने के लिए उपयुक्त नहीं मानता।

11. तदनुसार, वर्तमान याचिकाएं, सारहीन होने के कारण, खारिज किये जाने योग्य हैं।

सही/–

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur